



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

/2015 निगरानी

निगरानी 552-III-15

डी. एस. चौहान - एड.

14/3/15 को

12-3-15

न्यायालय मण्डल म.प्र. ग्वालियर

अशोक कुमार पुत्र मांगीलाल रावत

निवासी ग्राम हुसैनपुर, तहसील पोहरी

शिवपुरी (म.प्र.)

आवेदक

बनाम

- 1- लक्ष्मण पुत्र जनवेद खंगार
- 2- नारायण पुत्र लटटू कोरी
- 3- गीरा पत्नी नारायण कोरी
- 4- केदार पुत्र वद्री खंगार
- 5- कमलेश पत्नी केदार खंगार
- 6- गंगाराम पुत्र गोरे जाटव
- 7- वैजन्ती पत्नी गंगाराम जाटव
- 8- फेरन सिंह पुत्र दुर्जन कोरी
- 9- सरूपी पत्नी फेरन सिंह कोरी
- 10- मंगल सिंह पुत्र हरजान सेहर
- 11- रामदेही पत्नी मंगल सिंह सेहर
- 12- अमरलाल पुत्र अंतू सेहर
- 13- रामवती पत्नी अमर लाल सेहर

निवासीगण- ग्राम हुसैनपुर, तहसील पोहरी

जिला शिवपुरी (म.प्र.) --- अनावेदकगण

से
मि
त्य
कांक
की
स्टेटे

वेदक
प्र.क.

रिवेदित

डी. एस. चौहान
एडवोकेट
हाईकोर्ट म.प्र. ग्वा.



निगरानी अन्तर्गत धारा- 50 (1) म.प्र.भू राजस्व संहिता-1959
(नये संशोधन अधिनियम-2011) विरुद्ध आदेश न्यायालय
अनुविभागीय अधिकारी परगना पोहरी जिला शिवपुरी के प्रकरण
क्रमांक 40/2011-12/अ.मा. में पारित आदेश दिनांक
30.12.2014 से परिवेदित होकर।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निगरानी-552-तीन/2015

जिला-शिवपुरी

अशोक कुमार विरुद्ध लक्ष्मण आदि

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|------------------|---|---|
| 28-05-2019 | <p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री डी.एस. चौहान अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी परगना पोहरी, जिला-शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 40/2011-12/अ.मा. में पारित आदेश दिनांक 30-12-2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर शिवपुरी, जिला-शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 16-07-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p align="center"></p> | <p align="center"> (आर0के0 जैन) सदस्य</p> <p align="right">15/7/19</p> |